



## Annexure 2



समूह के मुखिया का नाम : .....

आवासीय पता/स्थायी पता : .....

समूह के मुखिया का भूमि विवरण : .....

नाम,पता एवं समूह के सदस्यों का भूमि विवरण :-

1. नाम :.....पता :.....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)
2. नाम :.....पता :.....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)
3. नाम :.....पता :.....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)
4. नाम :.....पता :.....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)

1. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
2. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
3. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
4. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :

नोट : अगर किसान समूह में चार से ज्यादा किसान है, तो समूह के किसान अपनी जरूरी विवरणी Annexure-2 का एक और कॉपी भरके संलग्न करें।

**समूह के प्रत्येक व्यक्तिगत किसानों द्वारा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज**

1. समूह के सभी किसानों का पहचान पत्र (आधार कार्ड)
2. समूह के सभी किसानों का आवासीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल)
3. समूह के सभी किसानों का जमीन का अद्यतन लगान रसीद
4. समूह के सभी किसानों की एक स्व-सत्यापित हाल की फोटो।

**शपथ-पत्र**  
(नोटरी से निर्गत)

मैं.....पिता.....ग्राम.....  
पंचायत.....प्रखण्ड.....जिला.....झारखण्ड  
का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक एकरार करता हूँ, मेरा स्थायी एवं पत्राचार का पता एवं विवरणी निम्नवत् है:-

**1. स्थायी पता :-**

नाम : .....पिता/पति का नाम.....  
ग्राम/मोहल्ला/सड़क : .....डाकघर..... पंचायत .....  
प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

**2. पत्राचार का पता :-**

नाम : .....पिता/पति का नाम.....  
ग्राम/मोहल्ला/सड़क : .....डाकघर..... पंचायत .....  
प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

**3. यह कि ग्राम..... पंचायत..... प्रखण्ड..... के अन्तर्गत**  
रैयती/खरीदगी जमीन कुल रकबा.....(एकड़) खाता नम्बर..... खसरा नम्बर.....  
जो मेरे ..... के नाम से दर्ज है, जिसका लगान का रसीद माह.....20..... तक जमा है। रसीद का  
छायाप्रति (हस्ताक्षरित) संलग्न है।

**4. खतियानी जमीन के स्थिति में वंशावली का पूर्ण ब्यारा जिसमें आवेदक का स्थान तथा कुल रकबा के अंश का विवरण स्पष्ट वर्णित**  
है। (वंशावली विवरण संलग्न)

**5. मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र तथा राज्य से प्रायोजित योजना के अंतर्गत सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं**  
लिया गया है।

**6. उपरोक्त में निहित जमीन का व्यौरा मेरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं लिया है।**

**7. उपरोक्त में निहित जमीन का व्यौरा मेरे..... के नाम पर है, और मेरे अलावा कोई और उसका अधिकारिक**  
दावा करके सोलर पम्प नहीं ले सकता है। (घोषणा पत्र जिसके नाम पर जमीन है संलग्न)

**8. पूर्व में मेरे पास कोई वॉटर पम्प :-** हाँ  नहीं  अगर हाँ तो उसका विवरण.....

**9. पम्प लगाने के स्थान पर बिजली की उपलब्धता :** हाँ  नहीं

**10. यह कि मेरे अंश कि सिचाई हेतु उपलब्ध कुल रकबा ..... एकड़ में ..... फीट गहराई का.....**  
बोरवेल/कुँआ उपलब्ध है जिसमें गर्मी के सीजन में पानी का लेवल.....फीट की गहराई पर है।

11. सरकार द्वारा जेडा के माध्यम से अनुदानित दर पर प्राप्त सिंचाई हेतु सोलर वाटर पम्प सिस्टम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त सभी तरह की सुरक्षा की जावाबदेही मेरी होगी। एवं इसका उपयोग सिंचाई कार्य हेतु करुगा एवं सोलर पम्प का विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा।
12. निदेशक जेडा (Director JREDA Payable at Ranchi) के नाम से लाभुक अंशदान की राशि रु.....  
का बैंक नाम.....बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....  
समर्पित तिथि.....के साथ समर्पित कर रहा हूँ।
13. सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

**Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगठे का निशान : –**

लाभुक का नाम : .....

तिथि : .....

स्थान : .....